फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय बशीर बनाम सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 सीकरी वगै0 किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबरः–	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी बशीर पुत्र रहमत, जाति मेव, निवासी ग्राम रनियाला तहसील सीकरी ने प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री दिनेश चंद गुप्ता की एकपक्षीय बहस बाबत जारी करने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। बाद बहस प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आदेश है किः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग वगै0 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.02.2023 तक विवादित आराजी खसरा नंबर 91/0.55 वाके ग्राम रनियाला, तहसील सीकरी पर सायल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में बिना सीमाज्ञान कराए गैर कानूनी तरीके से सडक का निर्माण नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायल जायल हो। इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहने में कोई भी आपत्ति हो तो न्यायालय में स्वयं अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली नियत दिनांक 03.02.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	
03/02/23	पत्रावली आज पेश हुई, पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 08/2/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	
08/2/23	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/2/23 को पेश हो। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया	
15/02/23	पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली में प्रार्थी स्वयं उनके वकील उपस्थित नहीं। सांय 5 बजे तक आ. बार-बार आवाज दिलाई गयी परन्तु प्रार्थी स्वयं उनके वकील उपस्थित नहीं, अतः पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तथा दिनांक 18/01/23 को जारी T.I खारिज की जाती है (सुरेन्द्र प्रसाद) उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	

Scanned with CamScanner